कार्यालय पुलिस आयुक्त, दिल्ली, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली।

संख्या–57–/जनसम्पर्क शाखा, पु0मु0, नई दिल्ली दिनांक 14 जनवरी, 2020

सेवा में,

श्रीमान सम्पादक,
दैनिक जागरण
प्यारे लाल भवन, आई.टी.ओ. नई दिल्ली–

विषयः– **"सालाना प्रेसवार्ता टालने के फेर में पुलिस"** शीर्षक के अन्तर्गत' छपी के खबर के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया, आज दिनांक 14 जनवरी, 2020 को आपके समाचार पत्र में उपरोक्त उप–शीर्षकों के अन्तर्गत छपी खबर का अवलोकन करें। कई उप–शीर्षकों के अन्तर्गत छपी यह खबर पूर्णतया काल्पनिक, बेबुनियाद व तथ्यहीन है।

जैसा कि विदित है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लगी हुई और इस दौरान प्रत्येक सरकारी विभाग से आचार संहिता के अन्तर्गत ही कार्य करने की अपेक्षा रहती है। अतः यह कहना पूर्णतया काल्पनिक है कि सालाना प्रेसवार्ता को टाला जा रहा है या उससे बचा जा रहा है।

दिल्ली पुलिस में किसी भी इंस्पेक्टर की तैनाती एक तय नीति के अन्तर्गत Police Establishment Board द्वारा की जाती है और बोर्ड द्वारा इंस्पेक्टर की कार्यकुशता, व्यवहार, दक्षता, अनुशासन और साफ रिकॉर्ड आदि जैसी बातों को ध्यान में रखने के साथ–साथ पुलिस कार्यशैली से संबंधित साक्षात्कार भी लिया जाता है।

साथ ही साथ यह कहना भी उचित नहीं होगा कि नई दिल्ली जिला उपायुक्त पुलिस द्वारा मीडियाकर्मियों का फोन नहीं उठाया जाता और सूचनाएँ साझा नहीं की जाती। सभी जिला पुलिस अधिकारियों जिसमें उपायुक्त पुलिस नई दिल्ली जिला भी शामिल है, के मीडिया व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए है जिनके माध्यम से सूचनाएँ साझा की जाती है। इसके अतिरिक्त P.R.O. मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से भी सूचनाएँ बराबर साझा की जाती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए खबर से संबंधित सही तथ्यों को उचित स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ताकि आपके पाठकों को तथ्यों की सही जानकारी मिल सके। इसके साथ ही अपने संवाददता को हिदायत भी दें कि ऐसे संवेदनशील माहौल में खबर लिखते तथ्यों की पुष्टि किसी अधिकृत पुलिस अधिकारी से कर लें और ऐसे काल्पनिक तथ्य लिखने से बचे।

भवदीय,

14.1.20

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जनसम्पर्क अधिकारी
दिल्ली पुलिस, दिल्ली।